ले.प.प्रति.सं.-20/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, **उपजिलाधिकारी, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **उपजिलाधिकारी, काशीपुर, ऊधम सिंह न**गर के माह **05/2016** से **07/2018** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री **अजय कुमार श्रीवास्तव**, श्री **खजान सिंह**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री **रविन्द्र कुमार जयन्त** वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **02.08.2018** से **07.08.2018** तक श्री प्रेम चन्द, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- **<u>परिचयात्मक-</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री **टी0एस0 नेगी**, श्री **ललित थपलियाल**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं **सूर्यपाल**, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **25.05.2016** से **27.05.2016** तक श्री **पुष्कर,** वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह **05/2012** से **04/2016** तक लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2016 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- काशीपुर

(ii)(अ) विगत पांच वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2016-17	-	-	464.97	464.97	15.64	15.64	-	-
2017-18	-	-	470.46	472.12	18.85	18.61	1.42	-
2018-19 (06/18)	-	-	487.56	102.55	6.42	1.88	-	389.55

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स)केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः- शून्य

(iii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **'सी'** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः-

उपजिलाधिकारी
अपर उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
राजिस्ट्रार कानूनगो
सहा0 राजिस्ट्रार कानूनगो
राजस्व निरीक्षक
राजस्व उप निरीक्षक
संग्रह अमीन

(iv)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में का कार्यालय, उपजिलाधिकारी, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उपजिलाधिकारी, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 09/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो अ

प्रस्तरः1- ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 9.77 लाख के राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा मार्च 2015 के प्रस्तर 2 के अनुसार ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर निर्गत कम्पयूटरीकत प्रमाण पत्रों एवं अन्य सेवाओ के लिए शुल्क रू 30 का निर्धारण किया गया है।

कार्यालय के ई- डिस्ट्रिक्ट परियोजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि कार्यालय उप जिला अधिकारी काशीपुर के अन्तर्गत 1 अप्रैल 2015 से दिनांक 01 अगस्त 2018 तक ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत तहसील में कुल 69409 प्रमाण पत्र बनाये गये। जिनमें से तहसील स्तर से 18846 प्रमाण पत्र जारी किये गये। उन लाभार्थियों से प्रति प्रमाण पत्र रू 30 की दर से शुल्क प्राप्त किये गए। लेकिन जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 50563 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन किये गये उनसे केवल 10.68 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 540056 शुल्क प्राप्त किये गये। इस प्रकार जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 30 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 1517010 शुल्क लिया जाना चाहिए, लेकिन जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 19.32 प्रति लाभार्थी प्रमाण पत्र की दर से 50563 लाभार्थियों से रू 976877 शुल्क कम प्राप्ति किये गये। जिसके कारण विभाग को रू 9.77 लाख की राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि प्रकरण राजस्व परिषद एवं शासन स्तर से सम्बन्धित है। इकाई का उत्तर मान्य नही है, क्योंकि शासनादेश दिनांक 21 मार्च 2015 के प्रस्तर 2 में शुल्क का निर्धारण किये जाने के बाद भी कामन सर्विस सेन्टरों से कम शुल्क लिया जाना शासनादेश का स्पष्ट उल्लंगन किया गया था।

अतः ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 9.77 लाख के राजस्व की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो अ

<u>प्रस्तर-02-</u> अर्जित ब्याज व अनविज्ञ मदों की धनराशि रू 20.40 लाख विगत कई वर्षों से बैंक खातों में अवरूद्ध रखना।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर द्वारा उपलब्ध करायें गये बैंक खातों से सम्बंधित सूचनाओं तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अवलोकन में पाया गया कि तहसील द्वारा विभिन्न केन्द्र पोषित, राज्य की अन्य योजनाओं तथा अन्य मदों में प्राप्त निधियों के संचालन हेतु बैंक ऑफ बडौदा में दो बैंक खातों का संचालन किया जा रहा था संदर्भित खाते तहसीलदार काशीपुर के पदनाम से है। उक्त खातों में 31 जुलाई, 2018 को खाता सख्या-08050100008999 में रू 57.04 लाख तथा खाता संख्या-26930200000575 में रू 2.02 लाख अर्थात उक्त दोनों खातों में रू 59.06 लाख की धनराशि जमा थी। उक्त दोनों खातों की कुल धनराशि में रू 38.66 लाख विज्ञ मदों की धनराशि थी, तथा शेष धनराशि रू 20.40 लाख विगत कई वर्षों से अर्जित ब्याज व अनविज्ञ मदो की अवरूद्ध पड़ी थी। जिसके सम्बंध में उच्चाधिकारी से पत्राचार करके निस्तारण किया जाना चाहिए थी।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया है कि प्रश्नगत खातों का भविष्य में अवलोकन कर उच्चाधिकारियों के दिशा- निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः01- विविध देयों/ आर0सी0 की धनराशि वसूली हेतु लम्बित रहना।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर के विविध देयों/ आर0सी0 से सम्बंधित पंजिकाओं एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अवलोकन में पाया वित्तीय वर्ष 2015-16 से पूर्व विविध देयों/आर0सी0 में रू 227.05 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक विविध देयों में रू 153.97 लाख अर्थात कुल रू 381.02 लाख की धनराशि तहसील स्तर पर वसूली हेतु लम्बित थी। जिनका विवरण निम्नवत है-

(धनराशि रू लाख में)

वित्तीय वर्ष	कुल विविध देयों/ आर0सी0 की वसूली हेतु लम्बित धनराशि
विगत वर्षों की वसूली हेतु लम्बित धनराशि	227.05
2015-16	38.86
2016-17	88.86
2017-18	26.25
योग	**381.02**

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः01-</u> राजकीय सेवकों को आवंटित राजकीय वाहन की निर्धारित दर से कटौती नही करना।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 710/दस-स0वि0नित-2-97 दिनांकः 19 मई, 1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आवंटित है, वह उसका निजी उपयोग करें या न करें, उसके वेतन से प्रति माह (पेट्रोल कार के लिए रू 500 व जीप के लिए रू 400) की कटौती की जानी चाहिए तथा शासनादेश संख्याः 84/xxvii(7)50(6)/2017, दिनांकः 07 जून, 2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया गया है कि उक्त के अन्तर्गत राजकोष में जमा किये जाने वाली उक्त धनराशि में वृद्धि करते हुए दिनांक 01 मई, 2017 से प्रत्येक वाहन हेतु रू 2000 प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी गयी थी।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर के बिल पंजिका एवं जी0वी0आर0 से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि श्री दयानन्द सरस्वती, उपजिलाधिकारी को आवंटित राजकीय वाहन की माह 05/2017 से 09/2017 तक उक्त शासनादेश में उल्लिखित दर से मासिक कटौती न करके मात्र रू 400 प्रति माह की गयी थी अर्थात उक्त अवधि में संदर्भित अधिकारी के वेतन से रू 1600 प्रति माह कम कटौती की गयी थी जिसकी कुल रू 8000/ वसूली/कटौती हेतु लेखापरीक्षा तिथि तक लम्बित थी।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रत्युत्तर में बताया कि कटौती/वसूली कर दी जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः2-</u> मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रेषण न किया जाना।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर के मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से सम्बंधित पंजिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक जिलाधिकारी से कुल रू 80.48 लाख की धनराशि उक्त कोष के अन्तर्गत प्राप्त की गई। कुल प्राप्त धनराशि के सापेक्ष तहसील द्वारा रू 80.48 लाख का व्यय किया गया था। सदंर्भित वित्तीय वर्षों में व्यय की गयी उक्त धनराशि से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का उपभोग के बाद जिलाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने चाहिए थे। जो लेखापरीक्षा तिथि तक तहसील द्वारा प्रेषित नहीं किये गये थे। आगे पंजिकाओं के अवलोकन में यह भी पाया गया कि पंजिका का वर्ष 2015-16 से वर्तमान तक न तो मासिक लेखाबन्दी की जा रही थी न ही सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवायी जा रही थी। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि प्राप्त हुयी थी तथा कितनी व्यय हो चुकी थी।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रत्युतर में बताया भविष्य में उपभोग प्रमाण-पत्र प्रेषित कर दिये जायेगे तथा पंजिका की मासिक लेखाबंदी कर दी जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः3-</u> बजट के अभाव में रू 0.52 लाख के दायित्व का सृजन किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड़-v भाग- प्रथम के प्रस्तर-159 के अनुसार सभी प्रकार के भारित व्यय का भुगतान तत्काल कर देना चाहिए। कदापि एक वित्तीय वर्ष के व्यय को दूसरे वित्तीय वर्ष के लिए भुगतान हेतु नहीं छोड़ना चाहिए। यदि सम्भव हो तो जब तक बजट का प्रावधान न हो, व्यय को टाल देना चाहिए।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर के जनरेटर एवं वाहन अनुरक्षण एवं डीजल क्रय इत्यादि से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि माह जनवरी 2017 से मार्च, 2018 तक, रू 51692/की (संलग्नक परिशिष्ट-अ) धनराशि के उक्त मदों के 9- बिलों बजट के अभाव में सम्बंधित वित्तीय वर्ष में कालातीत हो गये थे। जिसके कारण सम्बंधित फर्म को विगत वित्तीय वर्ष से लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त बिलों का भुगतान नहीं किया गया। जो उक्त हस्तपुस्तिका के प्रावधान के विरूद्ध है तथा बजट के अभाव में उक्त धनराशि का दायित्व का सृजन से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए प्रत्युतर में बताया कि कालातीत बिलों के भुगतान के सम्बंध में कार्यवाही प्रचलित है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

परिशिष्ट-अ

कालातीत बिलों को विवरण-

क्र0स0	मद का नाम	बिल संख्या	बिल तिथि	आपूर्ति की गई सामग्री का नाम	आपूर्ति कर्ता फर्म का नाम	बिल की धनराशि
1	जनरेटर अनु0 एवं डीजल/पेट्रोल क्रय	234	31.03.2018	डीजल क्रय	मै0 भीकुमल प्यारेलाल, काशीपुर	2272
2	वाहन संख्या- यूके 18 जी ए-0020, ईधन क्रय	235	31.03.2018	डीजल व पेट्रोल क्रय	मै0 भीकुमल प्यारेलाल, काशीपुर	2542
3	जनरेटर अनु0 एवं डीजल/पेट्रोल क्रय	91	31.07.2017	डीजल/पेट्रोल क्रय	मै0 भीकुमल प्यारेलाल, काशीपुर	2010
4	वाहन संख्या- यूके 18 जी ए-0020, ईधन क्रय	97	31.07.2017	डीजल /पेट्रोल क्रय	मै0 भीकुमल प्यारेलाल, काशीपुर	8884
5	वाहन संख्या- यूके 18 जी ए-0020, ईधन क्रय	122	31.08.2017	डीजल/ पेट्रोल क्रय	मै0 भीकुमल प्यारेलाल, काशीपुर	9487
6	डीजल व पेट्रोल क्रय	140	30.09.2017	डीजल/पेट्रोल क्रय	मै0 भीकुमल प्यारेलाल, काशीपुर	1842
7	वाहन संख्या- यूके 18 जी ए-0020, ईधन क्रय	143	30.09.2017	डीजल/पेट्रोल क्रय	मै0 भीकुमल प्यारेलाल, काशीपुर	12134
8	वाहन संख्या- यूके 18 जी ए-0020, ईधन क्रय	167	31.10.2017	डीजल/पेट्रोल क्रय	मै0 भीकुमल प्यारेलाल, काशीपुर	7088
9	वाहन संख्या- ए/एफ	264	31.01.2017	डीजल/पेट्रोल क्रय	मै0 भीकुमल प्यारेलाल, काशीपुर	5433
					योग	51692

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
06/2016-17	शून्य	शून्य	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
06/2016-17		अप्राप्त	-	-

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमितताये:- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री विजय जोगदण्डे	उपजिलाधिकारी	05.04.2016	09.05.2016
2	श्री हिमालय सिंह मर्तोलिया	उपजिलाधिकारी	10.05.2016	28.05.2016
3	श्री दयानन्द सरस्वती	उपजिलाधिकारी	28.05.2016	14.06.2017
4	श्री विनीत तोमर	उपजिलाधिकारी	14.05.2017	26.07.2017
5	श्री दयानन्द सरस्वती	उपजिलाधिकारी	27.07.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, उपजिलाधिकारी, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र